न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालीयर म.प्र.

R. 2328-I/14

कालुसिंह पिता भॅवरसिंह, जाति–राजपुत
निवासी–ग्राम बेलारा तह. पिपलौदा (जिला रतलाम)
....................प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता

बनाम

रुगनाथ सिंह पिता भेरुसिंह जाति–राजपुत
निवासी–ग्राम बेलारा तह. पिपलौदा (जिला-रतलाम)
................प्रतिप्रार्थी / प्रत्यर्थी

VISHAL MAHADIK

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. 1959

निगरानी ब नाराजगी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपलौदा के राजस्व प्रकरण कं. 51ए12 / 2013–14 में पत्रावली दिनांक (आदेश दिनांक) 07 / 07 / 2014 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,
प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता की और से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है।

–: निगरानी के आधार :–

21.7.14

1 यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली दिनांक 07 / 07 / 2014 आशींक रुप से विधी विधान के विपरीत होने से निरस्तीय योग्य है।

2 यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो सिमाकंन आदेश दिया था एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 द्वारा सिमाकंन की जो सुचना दिनांक 21 / 05 / 2014 को दी गई थी उस सुचना पत्र में कं. 4 धनपालसिंह पिता उदयसिंह का मात्र ॲगुठा निशानी है उस ॲगुठा निशानी पर यह खुलासा नही है कि यह किसकी निशानी ॲगुठा है यह अस्पष्ट है इससे यह लगाता है कि समन किसको तामिल कराया था व यह ॲगुठा निशानी किसकी है यह अस्पष्ट होने से संदेहास्पद है इस कारण यह सिमाकंन अवैद्य होकर निरसतीय योग्य है।

3 यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो सिमाकंन आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 को दिया था एंव विधि का प्रतीपादीत सिद्धान्त है कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी मौके पर सिमाकंन कर मौके पर ही पंचनामा बनाएंगे व उस पर मौके पर ही पंचो के हसताक्षर करवाएगें परन्तु उपरोक्त सिमाकंन में ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई मौके पर कोई पंचनामा नही बनाया गया केवल राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रिन्टेड फार्म पर खानापुर्ती कर ली गई जो

(44)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2328-एक/14 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (44)	